संख्या-३। /2026/1708/26-3-2026-1919299

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक-३०जून, 2026

विषय - **वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में केन्द्रांश के रूप में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-344/स0क0/एन0एस0ए0पी0/रा0पा0ला0यो0/2026-27, दिनांक 19-06-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-479/Finance/2026-27 (3166-IGNOAPS), दिनांक 09-06-2026 द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 7526.72 लाख (Mother Sanction) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्रांश की प्रत्याशा में शासनादेश संख्या-64/2026/1133/26-3-2026-1397413, दिनांक 28-04-2026 द्वारा केन्द्रांश के रूप में रू0 7500.00 लाख तथा राज्यांश के रूप में रू0 3750.00 लाख इस प्रकार कुल रू0 11250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- अत: वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 7526.72 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 7500.00 लाख को समायोजित करते हुए केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू0 26.72 लाख (रूपया छब्बीस लाख बहत्तर हजार मात्र) तथा सुसंगत राज्यांश की धनराशि रू0 13.36 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 40.08 लाख (रूपये चालीस लाख आठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

4- अत: उपरिवर्णित स्थिति के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-80 हेतु राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत लेखाशीर्ष-2235-02-104-05-02-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश (मदर सेंक्शन) तथा उसके सापेक्ष सुसंगत राज्यांश की धनराशि निम्न विवरणानुसार एवं अग्रलिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख में)

योजना का नाम/मद का नाम/लेखाशीर्ष	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु बजट प्राविधान (केन्द्रांश)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत धनराशि
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ अनुदान संख्या-80 लेखाशीर्ष-2235-02-104-05-02-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	30000.00	40.08
कुल योग	**30000.00**	**40.08**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2026-27 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्र्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5) प्रश्नगत योजना की भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत योजनान्तर्गत लाभार्थी के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) वित्तीय स्वीकृति का आदेश विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(12) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों /घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुए SNA को प्रेषित की जायेगी तथा SNA द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(13) समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अत: SNA स्तर पर पुन: परीक्षण की आवश्कता नहीं होगी। SNA द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार बिल साइबर ट्रेजरी को अग्रेषित किये जायेंगे।

(14) योजनान्तर्गत एस0एन0ए0 स्पर्श से सम्बन्धित शासनादेशों एवं नियमों का शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-40-X-2026-27-दिनांक:24-06-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 29-06-2026
18:18:31

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- समाज कल्याण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।